UPAG010058262026

न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–1, आगरा

उपस्थित : पुष्कर उपाध्याय, एच0जे0एस0

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2478/2026

बन्टी, उम्र करीब 27 वर्ष, पुत्र विजय सिंह, निवासी– नगला सूरजभान, बड़ा गॉव, सिकतरा, शमशाबाद, आगरा।

———— प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार ———— विपक्षी

मु0अ0सं0 606/2025
धारा–3, 5ए, 8 गौवध निवारण अधि0
एवं 11(1)एल पशु क्रूरता अधि0
थाना–मलपुरा, जिला आगरा

दिनांक 24.06.2026

1– प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **बन्टी** की ओर से मु0अ0सं0 606/2025, धारा–3, 5ए, 8 गौवध निवारण अधि0 एवं 11(1)एल पशु क्रूरता अधि0, थाना–मलपुरा, जिला आगरा के मामले में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त के स्वयं के शपथ पत्र से समर्थित है।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा गोपाल चौधरी द्वारा थाना मलपुरा, आगरा पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि मुझे सूचना मिली कि अर्टिगा गाड़ी जिसका नम्बर यूपी80एचयू–7068 है, यह रोज धौलपुर से आगरा की तरफ अवैध रूप से कटान कर मॉस लेकर धौलपुर से आगरा की तरफ जाती है। मैं ककुआ दक्षिण बाईपास की तरफ से रोहता की तरफ आ रहा था तो रास्ते में मुझे यह गाड़ी आती दिखी जिसकी सूचना मैने 112 पर सूचना देकर प्रशासन को दी जिसको रोकने पर इसने गाड़ी नहीं रोकी। कड़े प्रयास के बाद गाड़ी को प्रशासन के सहयोग द्वारा रोहता नहर चौराहे पर दिनांक 16.12.2025 को काबू कर लिया गया। मौके से चालक नाम शिशुपाल सविता पुत्र विजय सिंह, न0 सूरजभान बडा गॉव थाना शमशाबाद व परिचालक रोहित सविता पुत्र संजय सविता न0 सूरजभान बड़ा गांव थाना शमशाबाद बताया जिनसे पूछताछ करने पर उन्होने बताया कि हम यह मांस हैनु पुत्र राजुद्दीन, कौटला पुराना शहर धौलपुर व इस्ताफ पुत्र मजीद कुरैशी कौटला पुराना शहर धौलपुर व आरिफ पुत्र समीर कोटला पुराना शहर धौलपुर व आहिद पुत्र हनीफ कोटला शहर धौलपुर से हर रोज खरीदकर आगरा ले जाते थे। हम लोगों ने प्रशासन के साथ मिलकर गाड़ी चालक एवं

परिचालक को थाना मलपुरा में लाकर सुपुर्द कर दिया। प्रशासन से निवेदन है कि उचित से उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

4– उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना मलपुरा जिला आगरा पर अभियुक्तगण शिशुपाल सविता, रोहित, हेनु, इस्ताक, आरिफ व आहिद के विरूद्ध मु0अ0सं0 606/2025, अन्तर्गत धारा–11(1)एल पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना धारा 3, 5ए, 8 गौवध निवारण अधि0 की बढ़ोत्तरी की गयी। बाद विवेचना विवेचक द्वारा सहअभियुक्तगण रोहित व शिशुपाल के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए धारा 3, 5ए, 8 गौवध निवारण अधि0 एवं 11(1)एल पशु क्रूरता अधि0 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया तथा प्रार्थी/अभियुक्त बन्टी आदि के विरूद्ध विवेचना प्रचलित है।

5– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है, उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। वाहन सं0 यूपी80एचयू–7068 प्रार्थी के नाम पंजीकृत है, जिसे पुलिस द्वारा कथित रूप से गौकशी के कार्य में प्रयुक्त बताया गया है। मात्र वाहन स्वामी होने के कारण प्रार्थी को अभियुक्त बनाया गया है, जबकि घटना में उसकी कोई प्रत्यक्ष संलिप्तता नही है। प्रार्थी का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नही है, न ही उसे मौके से गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में गिरफ्तार सहअभियुक्त शिशुपाल, प्रार्थी का भाई तथा रोहित भतीजा है। मात्र पारिवारिक संबंध एवं वाहन स्वामित्व्व के आधार पर प्रार्थी को अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी का कथित अपराध से कोई संबंध नही है। परिवार के सदस्यों से मोबाइल पर समय–समय पर वार्ता होना किसी अपराध में संलिप्तता का प्रमाण नही माना जा सकता। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नही है। थाना पुलिस प्रार्थी को तंग व परेशान कर रही है तथा गिरफ्तार करना चाहता है। प्रार्थी को अपनी गिरफ्तारी का भय है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

6– अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। सहअभियुक्तगण का नियमित जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय द्वारा पूर्व में निरस्त किया जा चुका है। अतएव जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

7– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना गया तथा केस डायरी व अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया गया।

8– अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर अवैध रूप से गौवंश का क्रूरतापूर्वक वध करके गौवंश का मांस परिवहन किए जाने तथा मौके से बरामद कार में से गौवंश की बरामदगी होने का अभियोग है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से विदित होता है कि वादी मुकदमा

आदि द्वारा अर्टिगा गाड़ी नम्बर यूपी80एचयू–7068 को रोक कर प्रार्थी/अभियुक्त शिशुपाल व रोहित को पकड़ा गया तथा उन्हें वाहन वाहन सहित थाने के सुपुर्द किया गया। केस डायरी में वादी मुकदमा व चश्मदीद गवाहों के बयान विवेचक द्वारा अंकित किए गए हैं जिसमें उनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथनों का समर्थन किया गया है। केस डायरी में उल्लिखित फर्द लेने कब्जा के अवलोकन से विदित होता है कि थाने पर सुपुर्द की गयी उपरोक्त कार में से 04 बैग व 02 प्लास्टिक के बारों में अवैध मांस करीब 2.5 कुंतल बरामद हुआ। दौरान विवेचना बरामद हुए मांस में से सैम्पिल लेकर फॉरेंसिक इन्वेस्टीगेशन लैब मथुरा परीक्षण हेतु भेजे गए। उक्त लैब की परीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से विदित होता है कि परीक्षण रिपोर्ट में ''ON THE BASIS OF CHEMICAL ANALYSIS THE SAMPLE BELONGS TO COW OR ITS PROGENY'' पाया गया है। प्रस्तुत मामले में बाद विवेचना विवेचक द्वारा सहअभियुक्तगण रोहित व शिशुपाल के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए धारा 3, 5ए, 8 गौवध निवारण अधि0 एवं 11(1)एल पशु क्रूरता अधि0 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है।

9– केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण हेनू व बन्टी आदि के विरूद्ध विवेचना प्रचलित है। केस डायरी के पर्चा सं0 19 में प्रार्थी/अभियुक्त बन्टी के मोबाइल नं0 7302857796 व सहअभियुक्तगण के मोबाइल नंबरों की कैफ आई.डी. का उल्लेख करते हुए विवेचक द्वारा यह निष्कर्ष निकला गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त बन्टी द्वारा मुकदमें के वांछित अभियुक्त एनुद्दीन कुरैशी उर्फ हेनु व अपने भाई सहअभियुक्त शिशपाल व सहअभियुक्त भतीजे रोहित के संपर्क में था तथा वाहन सं0 यूपी80एचयू–7068 के स्वामी बन्टी की संलिप्तता है। केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि विवेचक द्वारा वांछित अभियुक्तगण बन्टी आदि के विरूद्ध दबिश दिए जाने के बावजूद दस्तयाब नही हो रहे हैं, फरार हो गए हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि घटना में प्रयुक्त उपरोक्त वाहन का प्रार्थी/अभियुक्त बन्टी पंजीकृत स्वामी है तथा उसकी घटना में सक्रिय भागीदारी है तथा वह घटना के सहअभियुक्तगण से अपने मोबाइल के जरिये संपर्क में है तथा फरार है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अवैध रूप से गौवंश का क्रूरतापूर्वक वध करके गौवंश के मांस परिवहन करने का कारित किया गया अपराध अत्यंत गम्भीर प्रकृति का है। सहअभियुक्तगण शिशुपाल आदि का नियमित जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 04.02.2026 को निरस्त किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध विवेचना प्रचलित है तथा और साक्ष्य संकलित किया जाना शेष है।

10– अतएव प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने हेतु पर्याप्त आधार नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **बन्टी** द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं0 2478/2026, मु0अ0सं0–606/2025, धारा 3, 5ए, 8 गौवध निवारण अधि0 एवं 11(1)एल पशु क्रूरता अधि0, थाना–मलपुरा, जिला आगरा के मामले में, निरस्त किया जाता है।

दिनांक 24.06.2026

ह0

(पुष्कर उपाध्याय)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–1,
आगरा।
आई0डी0 नं0–यूपी–6086

Digitally signed by PUSHKAR UPADHYAY
Date: 2026.06.24 19:12:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court